

G
REGS
SARADVT. OF BIHAR
RATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
IN SCORE (CHAPRA SARAN)

भारत

STAMP D

00000

00000

37415

7Prd+Zero



31/6 115519

31/6 115519

COURT FEE

ORIZATION NO. 01 (RGR CELL)



Name.....
Address.....
I solemnly affirm and declare
before me on this day of

NOTARY
Chapra, Saran

118. छपरा

विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग-क

मैं, अर्पणा देवी **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री दिवाकर पाठक

आयु 41 वर्ष, जो आजाद जैन चण्डपुर ब्ला, पटना

बिहार

(डाक का पूरा

पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं भारतीय जनकनिदल (जेमो) (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा
खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 182, नॉन्सीपुर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का
नाम) में क्षेत्र सं 244 के क्रम सं 234 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9470472024 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई
हो तो) arpana1984@gmail.com है।

(4) स्थाया लखा सख्याक (पन) क ब्यार आर आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्र० सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं	NIL	2014-15	3706
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1	NIL	NIL	NIL
4.	आश्रित-2	NIL	NIL	NIL
5.	आश्रित-3	NIL	NIL	NIL

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं दिला
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं दिला
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं दिला

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए करावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है: नहीं दिला

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: नहीं दिला

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा करावास का दंडादेश दिया गया है:-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं दिला
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें)	नहीं दिला
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं दिला
(घ)	व्याप्त सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं दिला

(7) न, नर पात या पत्ना आर सभा आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/ विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण - 5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्कृत दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	80000	7500	NIL	NIL	22-25
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	41000	15000 25000	22-25	22-25	22-25
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	22-25	22-25	22-25	22-25	22-25

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	92.24	22.24	22.24	22.24	22.24
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	22.24				
(ix)	समग्र कुल मूल्य	121000	34000	22.24	22.24	22.24

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

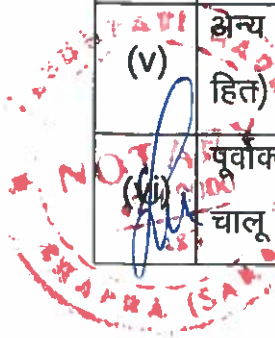
टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित-2	आश्रित-3
1	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24
2	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24

	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	१२-५	१५	१२-५	१२-५	१२-५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१२-५	१५	१२-५	१२-५	१२-५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१२-५	१५	१२-५	१२-५	१२-५
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	१२-५	१५	१२-५	१२-५	१२-५
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	१२-५	१५	१२-५	१२-५	१२-५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	१२-५	१५	१२-५	१२-५	१२-५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफूट में कुल माप)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५

	है (हां या नहीं)	१२	१२	१२	१२	१२
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१२	१२	१२	१२	१२
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१२	१२	१२	१२	१२
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१२	१२	१२	१२	१२
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१२	१२	१२	१२	१२
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	१२	१२	१२	१२	१२
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	१२	१२	१२	१२	१२
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफूट में कुल माप)	१२	१२	१२	१२	१२
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	१२	१२	१२	१२	१२
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१२	१२	१२	१२	१२
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१२	१२	१२	१२	१२
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१२	१२	१२	१२	१२
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१२	१२	१२	१२	१२
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	१२	१२	१२	१२	१२
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	१२	१२	१२	१२	१२



(8) म, लाक वित्तीय संस्थाआ आर सरकार क प्रात दायत्वा/ का शाध्या क ब्यार नाच दता हू-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	कोई अन्य दायित्व	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	दायित्वों का कुल योग	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	टेलीफोन/ मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	औद्योगिक शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	धनकर शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	सेवाकर शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५

	प्रमाणपत्र राज्य	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५
	कोई अन्य शोध	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ, तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है, का वर्णन करें।	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५	१/१८/१५

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे

(क) स्वयं शुभाष देवा

(ख) पति या पत्नी सरकारी सेवक

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

मेरी

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु <u>अर्पणा देवी</u>
2	डाक का पता-	<u>आजाद नगर, थानपुर ब्ला.</u> <u>पिन-५०५०३३</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>118 बुधगा, बिहार</u>
4	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	<u>भारतीय जनता पार्टी</u> <u>(JMP)</u>
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	<u>१२-५</u>

	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]		१२-५				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया, एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय]		१२-५				
7		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है			कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	१२-५	१२-५			१२-५	
	(ख) पति या पत्नी	CKQPP1905R	११-५			१२-५	
	(ग) आश्रित	१२-५	१२-५			१२-५	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)						
	विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	ख	स्थावर आस्तियां	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	(ii)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	(iii)	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५

	(क)	स्वाजित आस्तिया (कुल मूल्य)	१२५५	१२५	१२५५	१२५	१२५५
	(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५
9	दायित्व						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१२५५५	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:  (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं, यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 2-8-14 को सत्यापित किया गया।

Advocate
2.8.14
uc878

अर्पणा देवी
अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए जानकारी नहीं है, तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथपत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं. 9470 472024

मेरा ई-मेल आईडी(अगर कोई हो) है arpana.1234@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है bsvklshar@facebook

टिप्पण : 6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथपत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथपत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मार देगें। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगें। उनके द्वारा कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगें।

